

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(डॉ० भंवर लाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 23 / 2021

दायर दिनांक : 18.08.2021

आदेश दिनांक : 01.03.2024

अनवान

1. अशोक कुमार पिता भेरूलाल सिंघवी, आयु 53 वर्ष, निवासी झीलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
 2. रामसिंह पिता धनसिंह जाति राजपूत आयु 46 वर्ष, निवासी कदमाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
- प्रार्थीगण

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी / भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. क्षेत्रीय अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डी.सी.एम. अजमेर रोड़, जयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, गढबोर

— विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ३ छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

उपस्थित:-

- श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री कैलाश बोल्यां, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3



B

प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि एवार्ड प्रकरण अधिसूचना क्रमांक 3470 दिनांक 18.12.2015 एवार्ड दिनांक 28.03.2018 राजस्व ग्राम अमरतिया के खसरा संख्या 1766 रकबा 0.0324 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1767 रकबा 0.0540 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 1812/824 रकबा 0.0674 हेक्टेयर विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को बाघाना से गौमती चौराहा खण्ड तक (किमी 147.750 से किमी 177.050 तक) 4 लाईन सड़क निर्माण परियोजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी उप धारा 2 के अनुसरण में दिनांक 18.12.2015 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3470 दिनांक 18.12.2015 के तहत अधिसूचना जारी कर प्रार्थीगण की भूमि आराजी नम्बर 1766 रकबा 0.0324 हेक्टेयर किस्म आबादी व आराजी नम्बर 1767 रकबा 0.0524 हेक्टेयर किस्म लघु उद्योग एवं खसरा संख्या 1812/824 रकबा 0.0674 हेक्टेयर किस्म हकत भूमि को भी अवाप्त किया गया। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजे का एवार्ड दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया। जिसमें प्रार्थीगण की राजस्व ग्राम अमरतिया में स्थित आराजी नम्बर 1766 रकबा 0.0324 हेक्टेयर किस्म आबादी व आराजी नम्बर 1767 रकबा 0.0524 हेक्टेयर किस्म लघु उद्योग एवं खसरा संख्या 1812/824 रकबा 0.0674 हेक्टेयर किस्म हकत भूमि को भी अवाप्त किया गया जिसका मुआवजा मात्र 1616525/- रुपये तय किया गया है जिसकी अभिवृद्धि हेतु यह याचिका प्रस्तुत की है। उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में प्रार्थीगण द्वारा रखे गये पक्ष के संबंध में किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया और मौके पर उक्त भूमि जो अवाप्त की गयी है उसके संबंध में न तो मौके पर सर्वे किया गया न ही मौके पर बने हुए मकान व स्थापित प्लान, संरचना, बाउण्ड्रीवाल का मुआवजा निर्धारित किया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में अधिसूचना उडी दिनांक 18.12.2015 के प्रकाशन के बाद आपत्ति पेश की गयी लेकिन पेश की गयी आपत्ति में भी उक्त भूमि का एलाइनमेन्ट परिवर्तित नहीं किया गया और मनमकसूद तरीके से केवल एक तरफ की भूमि को अवाप्त किया गया जबकि नियमानुसार दोनों तरफ समान रूप से भूमि अवाप्त किये जाने के प्रावधान है लेकिन उक्त आपत्ति को नहीं सुना गया और आपत्ति का निर्धारण अपने मन मकसूद तरीके से कर दिया गया। उक्त भूमि के संबंध में अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा मात्र 165, 154 तथा 217.50 रुपये प्रति वर्गफीट/वर्गमीटर की दर से तय किया गया है जबकि उक्त भूमि की वर्तमान बाजार दर 400/- रुपये प्रति वर्गफीट है जबकि मुआवजा मात्र 154 रुपये प्रति वर्गफीट एवं 217.50 रुपये प्रति वर्गमीटर तय किया गया है। उक्त भूमि मुख्य सड़क नेशनल हाईवे संख्या 8 से सटी हुई है जिसकी तत्कालीन वाणिज्यिक दर भी डीएलसी अनुसार 400 रुपये प्रति वर्गफीट थी। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा आवासीय/कृषि दर से निर्धारित किया गया है जो विधि के विपरीत है। राज्य सरकार नेशनल हाईवे से सटी हुई भूमि का पंजीयन किसी भी किस्म की होने पर भी वाणिज्यिक दर से पंजीयन की राशि स्टाम्प ड्यूटी के रूप में वसूल करती है लेकिन उक्त मामले में भूमि का मुआवजा मात्र 154 रुपये प्रति वर्गफीट एवं 217.50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से तय किया गया है जबकि अवाप्तशुदा भूमि



1538 वर्गमीटर अर्थात 16549 वर्गफीट अवाप्त की गयी है जबकि इसका मुआवजा 400 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से 66,19,552/- रूपये देय होता है, जो न तो तय किया गया है न अदा किया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का आवासीय मकान 2 मंजिला बना हुआ है जिसमें 4 हॉल, लेट्रिन बाथरूम नाल भूतल पर बने हुए है तथा प्रथम तल पर 5 कमरे, कीचन, हॉल, लेट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। उक्त मकान की वेल्यूएशन रिपोर्ट संरचना संख्या 281 के रूप में नेशनल हाईवे के अधिकृत अधिकारियों ने मौके पर जाकर सर्वे नहीं किया और अपने मनमकसूद तरीके से अन्य लोगों से मिलीभगत कर उन्हें मुआवजा देने के लिए भंवरलाल वगेरा के पक्ष में रिपोर्ट तैयार कर मुआवजा हेतु संरचना रिपोर्ट स्ट्रेक्चर संख्या 281 के रूप में तैयार की गई, जिसके अनुसार मौके पर 9,55,337/- रूपये का मुआवजा संरचना का निर्धारित किया गया है जो मनमकसूद तरीके से किया गया है। यह निर्माण प्रार्थीगण की भूमि में ही है, इस बाबत न्यायालय द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट में पटवारी हल्का की उपस्थिति में दिनांक 06.08.2018 को तैयार की गई है, जो प्रकरण संख्या 20/2018 बउनवान अशोक कुमार बनाम राजस्थान राज्य सिविल न्यायालय राजसमन्द के आदेश की पालना में तैयार की गई है। यह रिपोर्ट भी प्रार्थीगण द्वारा यह जानकारी में आने पर कि उनके मकान का मुआवजा विपक्षी द्वारा अन्य लोगों को प्रदत्त किया जा रहा है जिस पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर यह कार्यवाही की गई। उक्त जायदाद प्रार्थीगण द्वारा क्रयशुदा है तथा भूमि जब क्रय की गई थी तब उक्त भूमि का पंजीयन विभाग द्वारा इसकी मालियत 29,36,500/- रूपये निर्धारित की गई थी अर्थात 183531/- रूपये प्रति विश्वा अर्थात 210 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से उक्त भूमि का पंजीयन दिनांक 27.04.2012 को किया गया है और इसका मुआवजा मात्र 154 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से तय किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि 1538 वर्गमीटर अर्थात 16549 वर्गफीट 210 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से 34,75,290/- रूपये मुआवजा देय होता है। इसके अतिरिक्त संरचना का मुआवजा निर्धारित ही नहीं किया है। न ही अदा किया गया है। प्रार्थी द्वारा संरचना के संबंध में अधिकृत वेल्यूअर द्वारा कराई गई रिपोर्ट के अनुसार संरचना की लागत/मुआवजा राशि 55,00,000 देय होती है। उक्त भूमि पर बने हुए मकान, कमरे व बाउण्ड्रीवाल की लागत 5,00,000 रूपये एवं भूमि का मुआवजा 34,75,290/- रूपये कुलिया 94,75,290/- रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है तथा इस राशि पर प्रार्थीगण अवाप्ति दिनांक 18.12.2015 से 1 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार 5 साल 6 माह का ब्याज 66 प्रतिशत ब्याज, साथ ही उक्त मुआवजा राशि पर क्षतिपूर्ति एवं सोल्यूशन राशि के रूप में 1.75 गुना राशि भूमि अर्जन एवं पुनःनिवासन अधिनियम 2013 के तहत प्रार्थीगण विपक्षी से प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार उक्त मुआवजा राशि की 4 गुना राशि 1,65,81,758/- रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है जिसकी अदायगी प्रार्थीगण को विपक्षी द्वारा नहीं की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में मुआवजा अदा करने बाबत अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 12.06.2018 को प्रतिवेदन पेश किया था लेकिन मुआवजा अदा नहीं किया गया। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा भी भूमि अर्जन



पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 01.01.2015 तक एवार्ड राशि अदा करने एवं सक्षम न्यायालय में जमा नहीं कराने पर उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी मानसिंह के प्रकरण में मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिये हैं। नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशानिर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थीगण की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 01.01.2015 तक न तो अदा किया गया है न ही जमा करवाया गया है। जबकि उक्त मुआवजा वर्तमान बाजार दर के अनुसार तय नहीं किया गया। अतः बाजार दर की तीन गुना राशि तथा इस पर दिनांक 07.03.2014 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (solatium) राशि प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी हैं। भू अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 26, 27 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि तय करने के आधार एवं प्रावधान दिये गये हैं जिसके तहत कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण अर्थात् उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति विक्रय विलेख करार में वर्णित बाजार मूल्य या निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिये औसत कीमत लिये जाने के प्रावधान है। जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त मुआवजा का निर्धारण मनमकसूद तरीके से किया गया है तथा मुआवजा पर कोई ब्याज भी निर्धारित नहीं किया गया है जबकि देरी के संबंध में ब्याज नियमानुसार देय होता है। क्योंकि मुआवजा का निर्धारण विपक्षी द्वारा अवाप्ति की अधिसूचना की बाजार दर अनुसार तय किया गया है। फिर भी ब्याज एवार्ड राशि में नहीं जोड़ा गया है। इस प्रकार नवीन भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होने पर उक्त अनुसूची अनुसार प्रार्थीगण की भूमि का बाजार दर से 4 गुना मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के प्रावधान है तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि की शत प्रतिशत तोषण राशि भी अदा करने के प्रावधान है। अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में ब्याज, तोषण राशि एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा निर्धारित करने के प्रावधान है। पूर्व में नेशनल हाईवे प्राधिकरण हेतु भू अवाप्ति के प्रावधान लागू नहीं होने बाबत नेशनल हाईवे अधिनियम 1997 की धारा 3 जे. के तहत भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने बाबत अधिनियम के तहत रोक थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम तेजसिंह के प्रकरण में दिनांक 19.09.2019 को विनिश्चित करते हुए उक्त धारा को असंवैधानिक माना गया। ऐसी स्थिति में मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति राशि, ब्याज एवं सोल्यूशन की राशि प्रार्थीगण विपक्षीगण से अपनी अवाप्तशुदा भूमि मकान, संरचना का भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के



माध्यम से प्रतिवेदन पेश करने पर भी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है न ही संशोधित एवार्ड जारी किया गया है इसलिए प्रार्थीगण को यह याचिका प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि के सम्पूर्ण अवार्ड नियमानुसार Rfctlarr Act. 2013 के तहत चैक संख्या 555589-90 दिनांक 23.08.18 द्वारा राशि 16,16,525/- रुपये का निर्धारित डीएलसी दर से भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सब्यय निरस्त फरमावें।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण को नियमानुसार अधिसूचनायें जारी करने के उपरान्त अधिनियम 1956 के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड पारित किया गया, जो कि सही एवं उचित है। विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि के सम्पूर्ण अवार्ड नियमानुसार Rfctlarr Act. 2013 के तहत चैक संख्या 555589-90 दिनांक 23.08.18 द्वारा राशि 16,16,525/- रुपये का निर्धारित डीएलसी दर से भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सब्यय निरस्त फरमावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम अमरतिया के आराजी नम्बर 1766 रकबा 0.0324 हेक्टेयर किस्म आबादी व आराजी नम्बर 1767 रकबा 0.0524 हेक्टेयर किस्म लघु उद्योग एवं खसरा संख्या 1812/824 रकबा 0.0674 हेक्टेयर किस्म हकत भूमि को भी अवाप्त किया गया। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजे का एवार्ड दिनांक 18.12. 2015 को जारी किया गया। जिसमें प्रार्थीगण की राजस्व ग्राम अमरतिया में स्थित आराजी नम्बर 1766 रकबा 0.0324 हेक्टेयर किस्म आबादी व आराजी नम्बर 1767 रकबा 0.0524 हेक्टेयर किस्म लघु उद्योग एवं खसरा संख्या 1812/824 रकबा 0.0674 हेक्टेयर किस्म हकत भूमि को भी अवाप्त किया गया जिसका मुआवजा मात्र 1616525/- रुपये तय किया गया था। जबकि उक्त भूमि रूपान्तरणशुदा है वाणिज्यिक उपयोग की होकर प्रार्थीगण द्वारा इसे रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से दिनांक



27.04.2012 को क्रय किया था। तत्समय 29,36,500/- रूपयें की मालियत तय की गई थी जिस अनुसार 210 /- रूपयें प्रति वर्गफिट होती है जबकि मुआवजा 154 /- रूपये प्रति वर्गफिट की दर से निर्धारित किया गया है मौके पर मकान, कमरे, कार्यालय, बाउण्डरीवॉल आदि निर्मित हैं। संरचना का मुआवजा निर्धारित नहीं किया है। न ही अदा किया गया है संरचना की वेल्युएशन रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी थी लेकिन विभाग के अधिकारियों की त्रुटी से आराजी संख्या प्रार्थीगण के अंकित नहीं किये गये लेकिन इसकी पुरिफ्ट पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये पर्चा मौका दिनांक 20.03.2018 से होती है प्रार्थीगण ने भी न्यायालय में वाद पेश कर कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 06.08.2018 को पटवारी हल्का की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई। जिसमें मौके पर प्रार्थी की भूमि में ही निर्माण होना पाया गया है। याचिका पेश करने के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 17.04.2023 को Rfctlarr Act. 2013 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में संशोधित अवार्ड जारी कर भूमि का मुआवजा अदा कर दिया है लेकिन मौके पर बनी हुई संरचना का मुआवजा अदा नहीं किया है इसलिए प्रार्थीगण को संरचना का मुआवजा भुगमान करने के लिए विपक्षी को मुआवजा निर्धारित करने एवं भुगतान करने के आदेश फरमाये जावें। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि के सम्पूर्ण अवार्ड नियमानुसार Rfctlarr Act. 2013 के तहत चैक संख्या 555589-90 दिनांक 23.08.18 द्वारा राशि 16,16,525/- रूपये का निर्धारित डीएलसी दर से भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सक्षम अधिकारी द्वारा डी0एल0सी0 दर से निर्धारित करते हुए नियमानुसार भुगतान करना प्रमाणित पाया गया लेकिन अवाप्तशुदा भूमि पर मौके पर मकान, कमरे, कार्यालय, बाउण्डरीवॉल (संरचना) निर्मित होने की पुष्टि विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2012 तथा पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया मौका पर्चा दिनांक 20.03.2018 के अनुसार मौके पर प्रार्थीगण की मकान, कमरे, कार्यालय, बाउण्डरीवॉल निर्मित होना प्रमाणित पाया गया है तथा न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 06.08.2018 से भी प्रमाणित पाया गया है कि मौके पर अवाप्तशुदा भूमि पर निर्मित संरचना का मुआवजा निर्धारित व अदा नहीं किया गया। उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।



:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा साक्ष्य सबुत के साथ प्रेषित किये गये क्लेम दस्तावेज के आधार पर एवं संरचना का मूल्यांकन करते हुए धारा 3 जी (5) दी नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 सपठित द राईट टु फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रांसपेरेसन्सी इन लेण्ड एक्वीजीशन रिहेबिलीटेशन एण्ड रि सेटलमेंट एक्ट, 2013 (RFCTLARR ACT 2013) व भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित अधिसूचना एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय अनुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। आदेश की प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की अवार्ड पत्रावली प्रेषित हों।

Bella
(डॉ० भंवर लाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 01.03.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



Bella
(डॉ० भंवर लाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द